

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2018/7918-42

जयपुर, दिनांक 8-5-2018

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरु, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर।

विषय- खरीफ सम्वत् 2074 में सूखाग्रस्त ग्रामों में अवस्थित घोषित पशुशिविर संचालन बाबत
दिशा-निर्देश।

प्रसंग- विभागीय दिशा-निर्देश क्रमांक 3671-84 दिनांक 15.3.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय आदेश क्रमांक 3671-84 दिनांक 15.3.2018 9-13/सी (फ्लेग/ए) द्वारा खरीफ सम्वत् 2074 में सूखाग्रस्त जिलों में पशुशिविर संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देश दिनांक 15.5.2018 तक प्रभावी थे।

सूखे की गम्भीर स्थिति के मद्देनजर विभागीय अधिसूचना क्रमांक 7830-65 दिनांक 7.5.2018 द्वारा उक्त अवधि दिनांक 15.7.2018 तक बढ़ाई जा चुकी है। अतः अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित घोषित पशुशिविर संचालन की अवधि भी दिनांक 15.7.2018 तक बढ़ाई जाती है।


शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर., भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
9. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरु, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।


शासन उप सचिव